जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 11.07.2025

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नामित 02 बाल अपचारियों को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजेशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 339/2025 धारा 70(2), 351(3) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर के मामले में नामित 02 बाल अपचारियों को आज दिनाँक 11.07.2025 को उनके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 08.07.2025 को थाना धनघटा पर उक्त बाल अपचारियों के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 11.07.2025 को उक्त दोनो बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जयप्रकाश कुशवाहा, का0 संदीप यादव, का0 अनिल प्रसाद।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम मेः-

थाना महुली पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता मनोज कुमार पुत्र नकछेद निवासी मथुरापुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सतेन्द्र यादव, उ0नि0 श्री राकेश कुमार गुप्ता, का0 विजय गौतम।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 24 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 12 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा कुएं में कुदने वाले 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1483 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत देवकली से कालर द्वारा कुएं में कूद जाने पर घायल पड़े 01 व्यक्ति (1.चन्द्रशेखर पुत्र चिलकु प्रसाद ग्राम देवकली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 उमेश प्रसाद, आ0 आलोक तिवारी, हो0चा0 देवेन्द्रनाथ राय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 137 वाहनों से 2,57,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 11.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 137 वाहनों से 2,57,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल, कुल नगद 6700रु0 के साथ 02 बाल अपचारियों को किया गया गिरफ्तार

जनपद संतकबीरनगर में चोरी की 03 घटनाओं का खुलासा

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनाँक 11.07.2025 को 02 बाल अपचारियों को चोरी की 01 अदद मोटरर साईकिल व कुल 6700रु0 नगद के साथ मंझरिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी।

अनावरण हुयी घटना का संक्षिप्त विवरण

1. वादी श्री विशाल कुमार पुत्र मिश्री लाल निवासी बड़गो थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 10.07.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अज्ञात चोर द्वारा दिनाँक 06.05.2025 को मेंहदावल बाईपास से वादी की मोटरसाईकिल स्पेण्डर प्लस को चोरी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 615/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

2. वादी श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा निवासी झीनखाल बंजरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 28.01.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अज्ञात चोर द्वारा दिनाँक 19.01.2025 को बगहिया ओवरब्रिज के पास से वादी की मोटरसाईकिल स्पेण्डर को चोरी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 615/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

3. वादी श्री अमित सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी कटाई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 19.01.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अज्ञात चोर द्वारा दिनाँक 15.01.2025 को डिग्री कालेज खलीलाबाद विकास टेन्ट हाउस के सामने से मोटरसाईकिल पल्सर 150cc को चोरी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 56/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद चोरी की मोटर साईकिल।
2. कुल 6700रु0 नगद।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः- उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, हे0का0 गणेश प्रसाद, का0 अरविन्द कुमार तिवारी, का0 राजन कुमार यादव, का0 मनीष कुमार यादव।